

SURVIVOR'S BENEFIT SCHEME

DETAILS OF THE 'SURVIVOR'S BENEFIT SCHEME' FOR THE NOMINEES OF THE DECEASED INDIAN SEAFARER, WHO DIED DURING OFF ARTICLE PERIOD.

1. Pursuant to the objects of the Seafarers' Welfare Fund Society (herein after referred to as the Society) as defined in Article 3(XV) of the Memorandum of Association of the Society, the nominee(s) of the Indian seafarer, as being eligible in terms of provisions of rule 3 herein below, may be granted the financial assistance under the 'Survivor's Benefit Scheme', on death of the **Indian** seafarer under the circumstances and to the extent detailed herein below.
2. Such financial assistance on death of an **Indian** seafarer shall be granted at the absolute discretion of the society and such financial assistance may be dispensed with and / or curtailed / enhanced, suspended or completely withdrawn at any time without any prior notice. The availability of such **financial assistance under the 'Survivor's Benefit Scheme'** to eligible **beneficiary(ies)** of deceased Indian seafarer, during off article period does not in any manner confer or create any prescriptive right whatsoever and shall not be called in question.
3. **Eligibility.**
The scheme is applicable to the **Indian** seafarers, **holding CDC book**, who are **last** recruited / engaged by the Indian ship-owners or through registered RPS, for either Indian or foreign flag vessels, before their death.

The financial assistance under the 'Survivor's Benefit Scheme' on death of an **Indian** seafarer shall be paid to the eligible beneficiaries, of the **Indian** seafarer who has expired on or after 21.08.2014, **within off article period of 12 months (amended to 24 months w.e.f. 31/05/2022) & (amended to 36 months w.e.f. 27/01/2026)** from the date of sign off from the last vessel/ship **as recruited/engaged above**. The eligible beneficiary (ies), will be as per the nomination(s) declared by the Indian seafarer with the last recruited Indian ship-owner or registered RPS company, as the case maybe during his/her employment, prior to his/her death., **failing which as per legal heir certificate issued by the competent authority**.
4. **Quantum.**
The quantum of financial assistance under this scheme shall be ₹.1, 00,000/- (₹One lakh only) to the eligible beneficiary (ies) of the **Indian** seafarer. **(Refer note given below)**
5. The Society may approach the Indian ship-owners /registered RPS, company concerned and obtain such particulars as may be necessary for the purpose of payment of financial assistance envisaged under this scheme.
6. To receive the benefit under this scheme only such applications will be entertained **which** are submitted to Seafarers' Welfare Fund Society within a period of two years upto 30/05/2022 and three years for death of seafarer which occurred on or after 31/05/2022 from the date of death of the **Indian** seafarer.
7. Application for financial assistance under this scheme is to be made in the prescribed form, along with attested copy of death certificate and original CDC book.
8. Notwithstanding anything contained herein above in all doubtful/disputed and/or exceptional cases, the Committee of Management **of the SWFS** may examine and decide the cases, on case to case basis, and its decision shall be final.

Note 1: The amount of financial assistance has been enhanced to ₹. 2,00,000/- (Rupees Two lacs only) w.e.f. 16/03/2016 for those death cases of seafarer who has expired on or after 16.03.2016 within off article period of 12 months from the date of sign off from the last vessel/ship as recruited/engaged by Indian Shipping company or through RPSL company.

Note 2: The amount of financial assistance has been enhanced to ₹. 4,00,000/- (Rupees Four Lacs only) w.e.f. 29/04/2024 for those death cases of seafarer who has expired on or after 29/04/2024, within off article period of 24 months from the date of sign off from the last vessel/ship as recruited/engaged by Indian Shipping company or through RPSL company.

Note 3: The amount of financial assistance has been enhanced to ₹. 6,00,000/- (Rupees Six Lacs only) w.e.f. 27/01/2026 for those death cases of seafarer who has expired on or after 27/01/2026, within off article period of 36 months from the date of sign off from the last vessel/ship as recruited/engaged by Indian Shipping company or through RPSL company.

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

(Autonomous Body of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India)

Nau Bhavan Building, Ground Floor, R. K. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001

Mob No. 8097552900 / 8097553700,

Email-swfs.dgs@govcontractor.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

APPLICATION FORM FOR FINANCIAL ASSISTANCE UNDER **'SURVIVOR'S BENEFIT SCHEME'**

(Please refer notes given below before submitting this application form.)

1. Seafarer's name in full : Mr./Mrs./Ms.: _____
(As per CDC Book)
2. CDC Number : _____
3. The name of the vessel last : _____ Date of sign-off: _____
sign-off
4. Indian shipowners Co. name : _____
OR Recruitment & Placement : _____
Service (RPS) provider name : _____
& its Registration No. : _____
5. Applicant's name in full : _____
6. Relationship with seafarer : _____
7. Correspondence address : _____
Of the applicant
8. Telephone No./Mobile No. : Tel. No. _____ Mobile No.: _____
(with STD code No.)

I, the undersigned, wish to inform you that my husband/wife/son/daughter /father/mother
Mr./Mrs./Ms. _____ expired on _____.
(Delete whichever is not applicable.)

I, now request you to grant me, the financial assistance under the 'Survivor's Benefit Scheme' as per SWF Society's rules as applicable for the scheme. I am submitting herewith following documents, to receive the claim under the scheme. I give below my Bank account details. **(Bank details are mandatory, without which the application will not be processed.)**

- (a) Attested copy of death certificate of the seafarer.
- (b) Copy of latest CDC book
- (c) Attested copy of any Identity proof of the applicant (i.e. PAN card/Voter's ID card/Aadhar Card/Indian passport etc.)

Details of the bank, where the financial assistance amount to be credited:

(Attach a legible copy of front page of Bank pass book of SB account, to verify the details.)

Name of the Bank	Branch Name	Branch Address	S.B. A/c.No.	Branch IFSC Code

(Note: Attach a legible copy of the front page of Bank pass book of SB account showing applicant's name, duly attested by the Branch Manager of the bank.)

I declare that, I am claiming this financial assistance on the strength of the documents submitted above, and at later date, if it is found, that I am not the actual beneficiary, or my claim was found dishonest, I undertake to refund the financial assistance in full to the SWF Society.

Place: _____

(Applicant's Signature/ Thumb Impression)

Date: _____ Name of Applicant: _____

Note:

- 1: The scheme is applicable only for Indian seafarers for cases of death on or after 21.08.2014.
- 2: The scheme is applicable to cases of death of seafarer within off article period of 12 months (amended to 24 months w.e.f. 31/05/2022) & (amended to 36 months w.e.f. 27/01/2026) from the date of sign- off from the last vessel, as recorded in the Indian CDC Book.
- 3: The application for financial assistance should be received by the Society within three years period from the date of death of the seafarer.

FOR S.W.F.S. OFFICE USE ONLY

Application No. _____

Documents attached verified & the applicant found eligible/not eligible under 'Survivor's Benefit Scheme' for financial assistance of ₹. _____. (Rupees _____ Only)

Checked by D.A. Verified by (A.A.O.) Recommended by (CAAO)

उत्तरजीवी लाभ योजना

मृतक भारतीय नाविकों के नामित व्यक्तियों के लिए 'उत्तरजीवी लाभ योजना' का विवरण, जिनकी मृत्यु आर्टिकल अवधि के दौरान हुई थी।

1. नाविक कल्याण निधि सोसायटी (जिसे आगे सोसायटी कहा जाएगा) के उद्देश्यों के अनुसार, जैसा कि सोसायटी के संघ जापन के अनुच्छेद 3(XV) में परिभाषित किया गया है, भारतीय नाविक के नामिती(यों) को, जो नीचे नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार पात्र हैं, भारतीय नाविक की मृत्यु पर, नीचे वर्णित परिस्थितियों में और सीमा तक 'उत्तरजीवी लाभ योजना' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।
2. किसी भारतीय नाविक की मौत पर ऐसी फाइनेंशियल मदद सोसाइटी की मर्जी पर दी जाएगी और ऐसी फाइनेंशियल मदद बिना किसी पहले से सूचना के कभी भी खत्म की जा सकती है और/या कम/बढ़ाई, रोकੀ या पूरी तरह से वापस ली जा सकती है। 'सर्वाइवर बेनिफिट स्कीम' के तहत, मृतक भारतीय नाविक के योग्य लाभार्थी(यों) को ऑफ आर्टिकल्ड पीरियड के दौरान ऐसी फाइनेंशियल मदद मिलना, किसी भी तरह से कोई खास अधिकार नहीं देता या बनाता है और इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
3. **पात्रता-**
यह योजना भारतीय नाविकों पर लागू होती है, जिनके पास **सीडीसीडीसी बुक है, जो भारतीय या विदेशी ध्वज वाले जलयानों के लिए, उनकी मृत्यु से पहले, भारतीय पोत मालिकों या पंजीकृत आरपीएस के माध्यम से अंतिम भर्ती/कार्यरत हैं।**

भारतीय नाविक की मृत्यु पर 'उत्तरजीवी लाभ योजना' के तहत वित्तीय सहायता, भारतीय **नाविक के** पात्र लाभार्थी (लाभार्थियों) को दी जाएगी, जिसकी मृत्यु 21.08.2014 को **या उसके** बाद हुई है, अंतिम पोत/जलयान से भर्ती/नियुक्त होने की तारीख से **12 महीने की ऑफ आर्टिकल अवधि (31/05/2022 से 24 महीने तक संशोधित) और (27/01/2026 से 36 महीने तक संशोधित) के भीतर** पात्र लाभार्थी, भारतीय नाविक द्वारा घोषित नामांकन **के अनुसार होगा, जो अंतिम भर्ती** किए गए भारतीय जलयान मालिक या पंजीकृत आरपीएस कंपनी के साथ, जैसा भी मामला हो, उसकी मृत्यु से पहले उसके रोजगार के दौरान होगा जिसके विफल होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के अनुसार होगा।

4. **राशि-**
इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि भारतीय नाविक के पात्र लाभार्थी (लाभार्थियों) को ₹1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) होगी। (नीचे दिए गए टिप्पणी देखें)
5. सोसाइटी भारतीय पोत-मालिकों/पंजीकृत आरपीएस, संबंधित कंपनी से संपर्क कर सकती है और इस योजना के तहत परिकल्पित वित्तीय सहायता के भुगतान के उद्देश्य से आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकती है।
6. इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए केवल ऐसे आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जो भारतीय **नाविक** की मृत्यु की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर 30/05/2022 तक और नाविक की मृत्यु के लिए तीन वर्ष 31/05/2022 तक नाविक कल्याण निधि सोसायटी को प्रस्तुत किए जाते हैं।

7. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति और मूल सीडीसी पुस्तक के साथ किया जाना है।
8. उपर्युक्त किसी भी बात के बावजूद सभी संदिग्ध/विवादित और/या असाधारण मामलों में, एसडब्ल्यूएफएस की प्रबंधन समिति मामले की जांच और **मामले के आधार** पर निर्णय ले सकती है, और उसका निर्णय अंतिम होगा।

टिप्पणी 1: वित्तीय सहायता की राशि 16/03/2016 से बढ़ाकर ₹2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये) कर दी गई है। यह उन नाविकों की मृत्यु के मामलों पर लागू होगी जिनकी मृत्यु 16.03.2016 को या उसके बाद, भारतीय नौवहन कंपनी या आरपीएसएल कंपनी द्वारा नियोजित अंतिम पोत से साइन ऑफ़ करने की तिथि से 12 महीने की ऑफ़ आर्टिकल अवधि के भीतर हुई हो।

टिप्पणी 2: वित्तीय सहायता की राशि 29/04/2024 से बढ़ाकर ₹4,00,000/- (केवल चार लाख रुपये) कर दी गई है। यह उन नाविकों के मृत्यु मामलों पर लागू होगी जिनकी मृत्यु 29/04/2024 को या उसके बाद, भारतीय नौवहन कंपनी या आरपीएसएल कंपनी द्वारा नियोजित अंतिम पोत से साइन-ऑफ़ की तिथि से 24 महीने की ऑफ़-आर्टिकल अवधि के भीतर हुई हो।

टिप्पणी 3: वित्तीय सहायता की राशि 27/01/2026 से बढ़ाकर ₹6,00,000/- (केवल छह लाख रुपये) कर दी गई है। यह उन नाविकों की मृत्यु के मामलों पर लागू होगी जिनकी मृत्यु 27/01/2026 को या उसके बाद, भारतीय नौवहन कंपनी या आरपीएसएल कंपनी द्वारा नियोजित अंतिम पोत से साइन-ऑफ़ करने की तिथि से 36 महीने की ऑफ़-आर्टिकल अवधि के भीतर हुई हो।

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौ भवन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, आर. के. मार्ग, बलाई एस्टेट, मुंबई-400 001

मोबाइल नं. **8097552900/8097553700**,

ईमेल- swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

'उत्तरजीवी लाभ योजना' के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र

(कृपया इस आवेदन पत्र को जमा करने से पहले नीचे दिए गए नोट्स देखें)

1. नाविक का पूरा नाम (सीडीसीडीसी बुक के अनुसार)	श्री/श्रीमती: _____
2. सीडीसी नंबर :	
3. जलयान का अंतिम नाम :	_____ साइन ऑफ की तिथि: _____
4. भारतीय पोत मालिक कंपनी का नाम:	
5. भर्ती और नियुक्ति: सेवा (आरपीएस) प्रदाता का नाम और इसका पंजीकरण नं:	
6. पूरे में आवेदक का नाम:	
7. नाविक के साथ संबंध:	
8. पत्राचार पता आवेदक का	
9. टेलीफोन नं/मोबाइल नं:	दूरभाष सं _____ मोबाइल सं _____

मैं, अधोहस्ताक्षरी, आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे

पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पिता/माता श्री/एमएस की _____ मृत्यु हो _____ गई है।

(जो भी लागू नहीं है उसे हटा दें)

मैं, अब आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे, योजना के लिए लागू एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी के नियमों के अनुसार 'उत्तरजीवी लाभ योजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करें। मैं योजना के तहत दावा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं नीचे अपना बैंक खाता विवरण देता हूं। (बैंक विवरण अनिवार्य हैं, जिसके बिना आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा.)

- नाविक के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- नवीनतम सीडीसी पुस्तक की प्रति
- आवेदक के किसी भी पहचान प्रमाण की सत्यापित प्रति (यानी पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/भारतीय पासपोर्ट आदि)

बैंक का विवरण, जहां वित्तीय सहायता राशि जमा की जानी है:

(विवरणों को सत्यापित करने के लिए एसबी खाते की बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की एक सुपाठ्य प्रति संलग्न करें)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	शाखा का पता	एसबीए/सी.नंबर।	शाखा आईएफएससी कोड

(टिप्पणी: आवेदक का नाम दर्शाने वाली बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की एक सुपाठ्य प्रति संलग्न करें, जिसे बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो)

मैं घोषणा करता हूं कि, मैं ऊपर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इस वित्तीय सहायता का दावा कर रहा हूं, और बाद में, यदि यह पाया जाता है कि मैं वास्तविक लाभार्थी नहीं हूं, या मेरा दावा बेईमान पाया गया था, तो मैं एसडब्ल्यूएफ सोसायटी को पूरी वित्तीय सहायता वापस करने का वचन देता हूं।

स्थान: _____

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

तारीख: _____

आवेदक का नाम: _____

टिप्पणी:

- 1: यह योजना केवल भारतीय नाविकों के लिए 21.08.2014 को या उसके बाद मृत्यु के मामलों के लिए लागू है।
- 2: यह योजना भारतीय सीडीसीडीसी बुक में दर्ज अंतिम पोत से साइन-ऑफ की तारीख से 12 महीने (31/05/2022 से 24 महीने तक संशोधित) और (27/01/2026 से 36 महीने तक संशोधित) की अवधि के भीतर नाविक की मृत्यु के मामलों पर लागू होती है।
- 3: वित्तीय सहायता के लिए आवेदन नाविक की मृत्यु की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर सोसायटी को प्राप्त होना चाहिए।

केवल एस.डब्ल्यू.एफ.एस. कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन संख्या

संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित किया गया और आवेदक को वित्तीय सहायता के लिए 'उत्तरजीवी लाभ योजना' के तहत पात्र/अपात्र पाया गया। (केवल रुपये) _____